फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय नि0 Q-3, गोविन्द नगर हाउसिंग बोर्ड, धोईन्दा जिला राजसमन्द पिन 313342
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 66/2024**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई

दिनांक **28.08.2024**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी क्रमांकः एफ.1( )सू0अ0,05/प्र.अपील08/2024/5008 दिनांक 27.08..2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र आरटीआई ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21.06.2024 को प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 से 04 तक की सूचना प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग के पत्रांक 5798 दिनांक 22.08.2024 से जरिये रजि. डाक से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत 13 पृष्ठीय अधिप्रमाणित सूचना बिना किसी प्रभार के प्रेषित कर दी गई है एवं बिन्दु संख्या 5 से 7 तक की सूचना, अधिनियमानुसार, सामग्री से निष्कर्ष निकाल कर, तथ्यों को खोजकर उपलब्ध कराना प्रावधान के तहत प्रावधित नहीं है, इस कार्यालय के पत्रांक 5007 दिनाक 27.08.2024 से प्रार्थी को सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 से 04 तक की सूचना प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग के पत्रांक 5798 दिनांक 22.08.2024 से जरिये रजि0 डाक से उपलब्ध करा दी गई एवं बिन्दु संख्या 5 से 7 तक की सूचना अधिनियमानुसार, सामग्री से निष्कर्ष निकाल कर, तथ्यों को खोजकर उपलब्ध कराना प्रावधान के तहत प्रावधित नहीं होने और इस संबंध में अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त अपील निर्णित की जाती हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद